

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 17 / 10 / 2017

संख्या-3/टी-01-02/2017- 619(3) /स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों जो अपने ही वेतनमान में स्तंभ-6 में अंकित जिलों/संस्थानों में पदस्थापित है, को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए स्तंभ-7 में अंकित पदों पर अपने वेतनमान में तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	चि०पदा० का नाम	गृह जिला	वरीयता	जन्म तिथि	वर्तमान पद	नव पदस्थापित पद एवं स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा० बैधनाथ मिश्र	सीतामढ़ी	3448	02.07.51	ए०सी०एम०ओ० कटिहार	अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटनासिटी, पटना
2.	डा० मुकेश कुमार	पटना	5180	01.01.53	अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटनासिटी, पटना	उपाधीक्षक सदर अस्पताल, कटिहार


2. पदस्थापित/स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करें ।
3. संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि पदस्थापित/स्थानान्तरित सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को नवपदस्थापित स्थान के लिए तुरंत विरमित कर दें ।
4. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवक्रमित समझी जायेगी ।
5. अधिसूचना में अंकित पदाधिकारियों के उक्त पदस्थापन के फलस्वरूप यदि कोई पदाधिकारी अतिरेक हो जाते हैं तो स्थानान्तरित पदाधिकारी अपने पदस्थापन स्थल के नियंत्री पदाधिकारी के यहाँ योगदान देंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी उनका तत्काल रिक्त पद के विरुद्ध समायोजन करते हुए विभाग को सूचित करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 3/टी-01-02/2017- 619(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 17 / 10 / 2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य



चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—

सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—

सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—

सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—

सम्बंधित स्थानान्तरित/अधिसूचित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधिसूचित पदाधिकारियों के नाम अथवा उनके पूर्व पदस्थापन में मामूली त्रुटि होने पर भी अधिसूचित पदाधिकारी स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं त्रुटि में सुधार हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा ।

प्रतिलिपि—

माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि—

सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—

आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

619(3)
17.10.17


विशेष कार्य पदाधिकारी